न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 01 / 2024

तारीख दायर–07.02.2024

तारीख निर्णय–06.12.2024

1. श्री नारायण पिता स्व0बावरीया मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला–सलुम्बर(राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता स्व0केसरिया उर्फ केशिया मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला–सलुम्बर(राज.)

........वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता स्व0धुला मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्रीमती डाली पत्नी स्व0धुला मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमान तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– अधिवक्ता श्री शान्तिलाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– अधिवक्ता जॉनी जैन

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा चंदा जी का गुडा पटवार हल्का ढीकिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्रतहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 80 व पुराना 75 में वर्णीत आराजी नम्बर 233 रकबा 2.0196 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 341 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 342 रकबा 0.2484 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 343 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 379 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 380 रकबा 0.2268 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 454 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 455 रकबा 0.7344 हक्टेयर, आराजी नम्बर 456 रकबा 4.2444 कुल किता 09 कुल रकबा 8.1216 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एंव प्रतिवादीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादी द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन की डिकी

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर वाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये।प्रतिवादीगण द्वारा जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगण का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहे है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा चंदा जी का गुडा पटवार हल्का ढीकिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्रतहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 80 व पुराना 75 में वर्णीत आराजी नम्बर 233 रकबा 2.0196 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 341 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 342 रकबा 0.2484 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 343 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 379 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 380 रकबा 0.2268 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 454 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 455 रकबा 0.7344 हक्टेयर, आराजी नम्बर 456 रकबा 4.2444 कुल किता 09 कुल रकबा 8.1216 हैक्टेयर भूमि पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में एक अन्य खाता मौजा चंदा जी का गुडा पटवार हल्का ढीकिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्रतहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 132 व पुराना 128 में वर्णीत आराजी नम्बर 345 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 346/1 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 346/2 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5076 हैक्टेयर भूमि में निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णीत आराजी में वादी के नाम की घोषणा का आदेश प्रदान करावें। जिस सम्बन्ध में तहसीलदार लसाडिया से रिपोर्ट तलब की गई तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चन्दा जी का गुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 की खसरा संख्या 345, 346/1,346/2,किता 03 कुल रकबा 0.5076 हैक्टेयर भूमि खातेदार श्रीमती डाली पत्नी धुला, लोगर पिता धुला के नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है उक्त भूमि प्रतिवादीगणों को धुलिया पिता नानजी से विरासत में प्राप्त हुई । राजस्व ग्राम चन्दा जी का गुडा की जमाबन्दी सम्वत् 2011 की खाता संख्या 42 खातेदार धुलिया वल्द नानजी मीणा के नाम दर्ज थी जो नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 28.01.2008 द्वारा श्री लोगर पिता धुला व डाली बेवा धुला मीणा के नाम दर्ज हुई तब से आज तक यथावत है। जो प्रतिवादी के पुर्वजों जो की मेवाड सेटलमेंन्ट से प्रतिवादीगणों के नाम से चली आ रही

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलूम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

है। वादी का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा नही रहा है। हमनें तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादी का उक्त आरजी पर कब्जा नही रहा मेवाड सेटलमेन्ट से ही उक्त भूमि पर प्रतिवादीगणों के नाम पर दर्ज रही है। तहसीलदार लसाडिया की रिपोर्ट व वादी के साक्ष्य सबूत के अभाव में जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 132 व पुराना 128 में वर्णीत आराजी नम्बर 345 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 346/1 रकबा 0.3996 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 346/2 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, कुल किता 03 कुल रकबा 0.5076 हैक्टेयर भूमि वादी का वाद अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद सावित नही पाये जाने से मौजा चन्दा जी का गुडा पटवार हल्का ढीकिया के खाता संख्या 80 में वर्णीत आराजी नम्बर 233, 341, 342, 343, 379, 380, 454, 455, 456 कुल किता 09 कुल रकबा 8.1216 हैक्टेयर में वादी–प्रतीवादीयों की संयुक्त खातेदारी भूमि होने से विभाजन हेतु स्वीकार किया जाता है। व खाता संख्या 132 में वर्णीत आराजी नम्बर 345,346/1,346/2 कुल किता 03 कुल रकबा 0.5076 मेवाड सेटलमेंट से प्रतिवादीयों के पुर्वजो के नाम दर्ज होने से उक्त आराजी में वादी द्वारा प्रस्तुत घोषणा का वाद अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(पर्वत सिह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया जिला-सलुम्बर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिक्री

पीठासीन अधिकारीः– श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 01/2024

तारीख दायर–07.02.2024
तारीख निर्णय–06.12.2024

1. श्री नारायण पिता स्व0बाबरीया मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला–सलुम्बर(राज.)
2. श्री मांगीलाल पिता स्व0केसरिया उर्फ केशिया मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला–सलुम्बर(राज.)

.......वादीगण

बनाम

1. श्री लोगर पिता स्व0धुला मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्रीमती डाली पत्नी स्व0धुला मीणा निवासी चंदाजी का गुडा तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
3. श्रीमान तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– अधिवक्ता श्री शान्तिलाल मीणा
प्रतिवादी की ओर से– अधिवक्ता जॉनी जैन

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 06.12.2024.को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिक्री किया जाता है एवं मौजा चंदा जी का गुडा पटवार हल्का ढीकिया भू.अ.निरीक्षक क्षैत्रतहसील लसाडिया के जमाबन्दी संवत् 2075–2078 खाता संख्या नया 80 व पुराना 75 में वर्णीत आराजी नम्बर 233 रकबा 2.0196 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 341 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 342 रकबा 0.2484 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 343 रकबा 0.0540 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 379 रकबा 0.1512 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 380 रकबा 0.2268 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 454 रकबा 0.4104 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 455 रकबा 0.7344 हक्टेयर, आराजी नम्बर 456 रकबा 4.2444 कुल किता 09 कुल रकबा 8.1216 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर

(पर्वत सिह चुण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर

Scanned with CamScanner